उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-07/2016/272/92-2-16-80जांच/2014

लखनऊ:: दिनांक:: 04 फरवरी,2016

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय अभिलेखों में हेराफेरी करने, लोहिया ग्रामसभा 2012-13 के कार्यो को समयबद्व ढंग से पूर्ण कराने में असफल रहने तथा कराये गये कार्य मानक विशिष्टयों के अनुरूप न कराने एवं विकास खण्ड-मवई के झरना नाले की संरचना के सुरक्षात्मक उपाय न करने के कारण हुई शासकीय क्षति आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-31/2015/1661/92-1-2015-80जांच/2014, दिनांक 22-04-2015 द्वारा श्री सै0 मो0 हुमायूं जांह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-फैजाबाद एवं अतिरिक्त प्रभार सामान्य प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/ मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 15-09-2015 द्वारा शासन में जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 15-09-2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री सै0 मो0 हुमायू जांह के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये। अतएव शासन के पत्र दिनांक 07-12-2015 द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित आरोपों के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 28-12-2015 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा अपचारी अधिकारी पर, पूर्व निर्मित ढाचे के संरक्षण में सजगता न बरतने के अतिरिक्त वित्तीय क्षति सहित किसी भी प्रकार का आरोप स्थापित नही पाया गया है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-04-2015 द्वारा श्री सै0 मो0 हुमायूं जाहं, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-फैजाबाद एवं अतिरिक्त प्रभार सामान्य प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-07/2016/272(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री सै0 मो0 हुमायू जॉह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0- फैजाबाद एवं अतिरिक्त प्रभार सामान्य प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।